

## FORM NO - III

फर्द अहकार

(नियम 26)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ जिला अजमेर


प्रकरण संख्या .....11/2A21....

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़  
बनाम

किस्म मुकदमा :- प्रार्थना पत्र धारा 131, 132 एलआरए नम्बर ..... सन् 2021

व नियम 58, 59, 60, 66, 86 आरएलआर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/02/21	<p>तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा ग्राम मोहनपुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 36 रकबा 11-02-00 किस्म गै0मु0 बरड़ा भूमि में जा रहे चालू रास्ते रकबा 02-08-00 भूमि का अंकन राजस्व अभिलेख में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी नकल नक्शा, मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी हल्का टोंकड़ा परिशिष्ट-ए एवं अभिशंषा तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र न्यायालय क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावें। तहसीलदार किशनगढ़ से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात् का ध्यान पूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिससे तहसीलदार (भू0अ0) किशनगढ़ द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश पृथक से लिखाया जाकर संलग्न मिसल रहे। तहसीलदार किशनगढ़ आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में सार्वजनिक निर्माण विभाग गै0मु0 सड़क अमल दरामद करें। मिसल फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाब्ता दाखिल हो।</p>	

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 किशनगढ़ (अजमेर)